KALYANI CAST TECH LIMITED

(Formerly Known As; “Kalyani Cast Tech Private Limited”)

Date: 06.07.2026

To
BSE Limited
P.J. Towers Dalal Street, Fort Mumbai-400001

Company Code No. 544023

Sub: Newspaper Advertisement with respect to the notice convening Extra Ordinary General Meeting schedule to be held on Tuesday, 28th July, 2026

Pursuant to Regulations 30 and 44 read with Para A of Part A of Schedule III of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations"), we hereby enclose copies of the newspaper advertisements published in **Financial Express** (English) and **Jansatta** (Hindi) on **Sunday, July 5, 2026**, regarding the Notice of the Extra-Ordinary General Meeting ("EGM") of the Company scheduled to be held on **Tuesday, July 28, 2026** at 12:00 PM.

Kindly take the above information on record.

For **Kalyani Cast Tech Limited**

Jayashree Kumar
Digitally signed by Jayashree Kumar
Date: 2026.07.06 16:49:07 +05'30'

Jayashree Kumar
(Whole Time Director)
DIN: 02933321

Reg. Office: B-144, 2nd Floor, DDA Shed, Okhla Industrial Area, Phase-1, Delhi-110020
Factory: Village Mamria Thethar, Distt. Rewari (Hr.)
Tel: 011-26444400, **Mobile:** 09650891119, **E-mail:** info@kalyanicasttech.com, **Kalyanicasttech@gmail.com** **CIN:** L26990DL2012PLC242760

JODHPUR GETS ₹480-CRORE NEW AIRPORT TERMINAL

Modi launches ₹29,000-cr revamped UDAN scheme

PRESS TRUST OF INDIA
Jodhpur, July 4

PRIME MINISTER NARENDRA Modi on Saturday launched the next phase of the Centre's flagship regional connectivity scheme, UDAN, and inaugurated a new terminal building at Jodhpur airport, marking a major push to expand aviation infrastructure and improve air connectivity across India.

The revamped UDAN (*Ude Desh ka Aam Nagrik*) scheme, approved by the Union Cabinet earlier this year, entails an outlay of nearly ₹29,000 crore over the next 10 years and aims to connect more underserved regions while strengthening last-mile air connectivity.

Addressing the event, Union Civil Aviation Minister Kinjarapu Rammohan Naidu said the scheme would accelerate aviation-led development and transform regional connectivity by expanding infrastructure and making air travel more accessible and affordable.

PM also inaugurated the new terminal building at Jodhpur airport, developed by the Airports Authority of India (AAI) at a cost of ₹480 crore, significantly enhancing the airport's passenger handling capacity.

PM Narendra Modi with Union Civil Aviation Minister K Rammohan Naidu in Jodhpur, on Saturday PTI

'Diplomatic ties helped tackle energy crisis'

ASSERTING THAT THE country implemented "visionary policies" during the recent fuel shortages amid the West Asia crisis, Prime Minister Narendra Modi on Saturday said that India did not merely recover from the unexpected challenge but positively used its "diplomatic power" to recover from the crisis.

Speaking after the inauguration of refinery-cum-petrochemical complex in Balotra, the PM added that the ruling party's success in implementing visionary policies for a decade "played a crucial role".

"This is all unprecedented. India has made the right decisions at every level. Accurately assessed the crisis in time. Devised an effective strategy. Made balanced use of India's resources. India made positive use of its diplomatic power. And only then has India been able to recover from the crisis," PM said on fuel shortages.

PM Modi stated that the Congress government from 2018 to 2023 did not cooperate, and the work remained at a standstill.

"Today I'm inaugurating the refinery project here. We signed the MoU in 2017, but the then Congress government from 2018 to 2023 did not cooperate, and the work remained at a standstill. The country did not recover from such an unexpected challenge merely by chance. The success of the visionary policies we have been implementing for a decade played a crucial role. You are well aware of my style of functioning: we are the ones who also inaugurate the projects for which we laid the foundation stone," Modi said on fuel shortages amid the West Asia crisis. —ANI

India-Israel bilateral investment pact comes into effect

PRESS TRUST OF INDIA
New Delhi, July 4

THE INDIA-ISRAEL Bilateral Investment Agreement (BIA), which will ensure a secure and predictable investment climate between the two countries, came into force from Saturday, the finance ministry said.

The pact, which will provide protection to the two-way investments, is expected to contribute to increased cross-border investment activity, it said. The two countries inked the treaty on September 8 last year.

"The BIA between the Government of the Republic of India and the Government of the State of Israel enters into force with effect from today, 04 July 2026," the ministry said.

Under the pact, India has cut down the local remedies exhaustion period for Israeli investors to three years.

Local remedies exhaustion means that investors must first try to resolve their disputes using the legal system of the host country before they can take the matter to international arbitration. Normally, India keeps a five-year period for this.

India-Canada FTA within six months, hints Goyal

FE BUREAU
New Delhi, July 4

A TEAM OF negotiators will be in Canada next week for the third round of talks on the Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) with both sides aiming to complete the negotiations in the next six months, Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said Saturday.

The first round of talks on the agreement were held in March after finalisation of the Terms of Reference. The second round happened in May. In May Goyal visited Canada with a big business delegation. During that visit he had met Prime Minister Mark Carney, Trade Minister Maninder Sidhu and foreign minister Anita Anand to give a push to the process.

Speaking on the sidelines of 17th Toy Biz International B2B Exhibition, Goyal said he will be visiting Brussels along with EAM S Jaishankar and Minister of Electronics and IT Ashwini Vaishnaw for India-European Union Trade and Technology Council meeting.

Piyush Goyal at a toy expo in New Delhi on Saturday ANI

India-Peru FTA not soon

Goyal said that the war in Asia has slowed down negotiations on the FTA with Israel while with Peru the process has been delayed due to the demand for concessions on some products from the other side.

"There are certain concerns. There are many products where we cannot offer them market access. I do not see the Peru FTA happening very soon," Goyal said. He said that manufacturers should immediately send delegations to explore opportunities in the UK market as the FTA with UK is becoming operational from July 15.

Origin of goods under UK trade pact defined

THE FINANCE MINISTRY has notified the rules for determination of origin of goods under the India-UK CETA, which will come into force from July 15, as per a notification. A certificate of origin is a key document required for exports to avail duty benefits under India's trade agreements with partner countries.

The CBIC, in a notification, said entities authorised by the two countries are permitted to issue these certificates in their respective countries.

"While the agreement offers significant tariff advantages, these benefits will now be available only to goods that genuinely satisfy the prescribed origin criteria," said Rajat Mohan, managing partner, AMRG Global. —PTI

No evidence of E20-related vehicle issues at dealerships, OEMs: ARAI

GEETA NAIR
Pune, July 4

THE AUTOMOTIVE ORIGINAL Equipment Manufacturers (ARAI) have reported no complaints at their dealerships regarding vehicles powered by E20 blended fuel. The ARAI convened a meeting with OEMs to discuss the growing concerns surrounding E20 fuels and customer complaints about their potential adverse effects on engine performance, particularly for two- and four-wheelers.

However, ARAI director Reji Mathai noted that participating OEMs were unable to respond meaningfully because their dealerships had not seen problems from vehicles using E20 fuel.

THE FUEL SAGA

- ARAI director urged that OEMs must address consumer concerns by clarifying performance of their vehicles with respect to E20 blended fuel
- He hinted various groups working against India's ethanol-fuel blending programme
- ARAI asserted that the E20 policy has conducted testing to ensure there is no adverse impact on engine life

Mathai urged that OEMs must proactively address consumer concerns by clarifying the performance of their vehicles with respect to E20 blended fuel. He urged OEMs to speak clearly on the matter.

Additionally, Mathai hinted at various interest groups that may be working against India's ethanol-fuel blending programme, suggesting that the oil lobby may oppose increasing blending levels. He stated that India's combination of BS VI emissions standards and E20 fuel is viewed as a successful global benchmark.

CBI arrests former Reliance Capital CFO

THE CBI HAS arrested the former chief financial officer of Reliance Capital, Amit Bapna, in connection with its ongoing investigation into Reliance ADA Group cases, officials said on Saturday.

The federal agency has alleged that Bapna, who served as the CFO of Reliance Capital from August 2014 to December 2019, was "one of the key decision makers responsible for managing the financial affairs of the company". —PTI

'Bullet train project 80% done'

UNION RAILWAY MINISTER Ashwini Vaishnaw on Saturday said the first section of the Mumbai-Ahmedabad Bullet Train project will be inaugurated in 2027, adding that nearly 80% of the project has been completed.

While speaking to the media on sidelines of the Commencement of Commercial Production event at CG Semi's OSAT Facility, scheduled to be held today in Sanand, Gujarat, Vaishnaw said work on the country's first bullet train corridor was progressing rapidly and the remaining sections would be opened in phases.

"The first section of the Bullet Train from Surat to Bilimora will be inaugurated in 2027. Thereafter, the Wapi-Surat section, followed by Wapi-Ahmedabad, Ahmedabad-Thane and finally Ahmedabad-Mumbai will be completed in phases. The work is progressing very fast," he said.

Vaishnaw added that nearly 80% of the work on the Mumbai-Ahmedabad Bullet Train project had been completed and that efforts were underway to complete the project within the stipulated timeline. —ANI

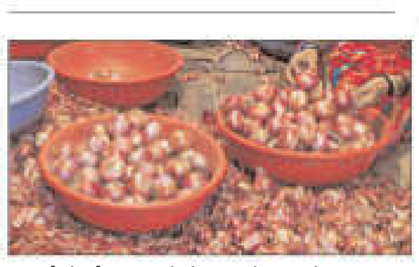

Multiple revisions in prices have been made to boost buffer stock

Centre raises procurement price of onion in Maha by 13%

SANDIP DAS
New Delhi, July 4

TO BOOST THE procurement for the buffer, the government on Saturday revised the upward, onion procurement price in Maharashtra by 13% to ₹2,125 per quintal under price stabilisation fund from ₹1,875 per quintal fixed last month.

The procurement for building buffers have been sluggish this season because of lower prices offered to farmers compared to market prices and the Department of Consumer Affairs revised the purchase price for the fourth time this fiscal. The minimum assured procurement price for the vegetable was raised to ₹1,875 per quintal last week.

On June 13, prices offered to farmers were increased to ₹1,650 per quintal from ₹1,580 per quintal announced on June 1. In May, onion procurement price was fixed at ₹1,270 per quintal.

कल्याणी कास्ट टेक लिमिटेड

(पहले "कल्याणी कास्ट टेक प्राइवेट लिमिटेड" के नाम से जानी जाती थी)
सीआईएन : L30200DL2012PLC242760
पंजीकृत कार्यालय : बी –144, दूसरी मंज़िल, डीडीए शेड, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज–1, दिल्ली–110020
फैक्ट्रीः गाँव मामरिया थेथर, ज़िला रेवाड़ी (हरियाणा)
फोनः 011–26444400, मोबाइलः 09650891119,
ई–मेलः info@kalyanicasttech.com] kalyanicasttech@gmail.com

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कल्याणी कास्ट टेक लिमिटेड के सदस्यों की असाधारण आम बैठक (ईजीएम) मंगलवार, 28 जुलाई 2026 को दोपहर 12:00 बजे (आईएसटी) टू–वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) सुविधा / अन्य ऑडियो–विज़ुअल माध्यमों (ओएवीएम) के ज़रिए आयोजित की जाएगी। ईजीएम का नोटिस इसके साथ संलग्न है। ईजीएम नोटिस और स्पष्टीकरण वाले बयान को वेबसाइट www.kalyanicasttech.com से डाउनलोड किया जा सकता है। यह नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com और स्टॉक एक्सचेंज, यानी बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है।

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी 19 सितंबर 2024 के सामान्य परिपत्र 09/2024 और सेबी द्वारा जारी सर्कुलर नंबर SEBI/ HO/ CFD/CFDPOD-2/ P/ CIR/ 2024/ 133(3 अक्टूबर, 2024 का "सेबी सर्कुलर") और अन्य लागू सर्कुलर और नोटिफिकेशन (जिसमें समय–समय पर किए गए कानूनी बदलाव या उन्हें फिर से लागू करना शामिल है) के अनुसार, कंपनियों के सदस्यों की किसी एक जगह पर शारीरिक मौजूदगी के बिना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य ऑडियो–विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) के ज़रिए ईजीएम आयोजित करने की अनुमति है। इन परिपत्र के पालन में, ईजीएम **मंगलवार, 28 जुलाई, 2026 को दोपहर 12:00 बजे** वीसी /ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

कंपनी अधिनियम की धारा 108 और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 (संशोधित) के नियम 20, इंस्टीट्यूट ऑफ़ कंपनी सेक्रेटरीज़ ऑफ़ इंडिया द्वारा जारी सामान्य बैठक पर सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड, लिस्टिंग रेगुलेशन के रेगुलेशन 44 (संशोधित) और एमसीए सर्कुलर के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी अपने सदस्यों को ईजीएम में होने वाले कामकाज के लिए रिमोट ई–वोटिंग की सुविधा दे रही है। इसके लिए, कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटिंग की सुविधा देने के लिए एनएसडीएल को नियुक्त किया है। इसलिए, एनएसडीएल द्वारा सदस्य को ईजीएम से पहले रिमोट ई–वोटिंग सिस्टम का उपयोग करके और ईजीएम के दौरान रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से वोट डालने की सुविधा दी जाएगी। रिमोट ई–वोटिंग सुविधा नीचे दी गई अवधि के दौरान उपलब्ध होगीः

ई–वोटिंग की शुरुआत :	25 जुलाई, 2026 (शनिवार) को सुबह 9.00 बजे (भारतीय समयानुसार) से
ई–वोटिंग की समाप्ति :	27 जुलाई, 2026 (सोमवार) को शाम 5.00 बजे (भारतीय समयानुसार) तक

इस अवधि के दौरान, 21.07.2026 (कट–ऑफ तारीख) तक फिजिकल या डीमटेरियलाइज्ड रूप में शेयर रखने वाले सदस्य ईजीएम से पहले रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाल सकते हैं। इसके बाद वोटिंग के लिए एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई–वोटिंग मॉड्यूल को बंद कर दिया जाएगा। एक बार वोट एक बार जब कोई सदस्य किसी प्रस्ताव पर वोट डाल देता है, तो उसे बाद में बदलने की अनुमति नहीं होगी। सदस्यों के वोटिंग अधिकार कट–ऑफ तारीख, यानी 21.07.2026 को कंपनी की पेड–अप इक्विटी शेयर कैपिटल में उनके हिस्से के अनुपात में होंगे।

ईजीएम में वीसी /ओएवीएम कार्यवाही के दौरान सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से रिमोट वोटिंग की सुविधा दी जाएगी। जो सदस्य ईजीएम में भाग ले रहे हैं और जिन्होंने मीटिंग से पहले रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डाला है, वे ईजीएम की कार्यवाही के दौरान अपना वोट डालने के हकदार होंगे। जिन सदस्यों ने ईजीएम से पहले रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से प्रस्ताव(वों) पर अपना वोट डाल दिया है, वे भी वीसी /ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम में भाग लेने के हकदार होंगे, लेकिन वे उन प्रस्ताव पर दोबारा वोट नहीं डाल सकेंगे।

ईजीएम से पहले रिमोट ई–वोटिंग/ईजीएम के दौरान रिमोट ई–वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया ईजीएम के नोटिस के नोट्स में दी गई है।

वीसी /ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम में भाग लेने के लिए सदस्यों के लिए निर्देश इस प्रकार हैंः

1. सदस्यों को एनएसडीएल ई–वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वीसी /ओएवीएम के जरिए ईजीएम में भाग लेने की सुविधा दी जाएगी। सदस्य एनएसडीएल ई–वोटिंग सिस्टम तक पहुँचने के लिए ऊपर बताए गए चरणों का पालन कर सकते हैं। सफल लॉगिन के बाद, आप कंपनी के नाम के सामने "जॉइन मीटिंग" मेनू के तहत दिया गया "वीसी /ओएवीएम लिंक" देख सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि "जॉइन मीटिंग" मेनू के तहत दिए गए वीसी /ओएवीएम लिंक पर क्लिक करें। वीसी /ओएवीएम का लिंक शेयरधारक/सदस्य लॉगिन में उपलब्ध होगा जहाँ कंपनी का इवन दिखाई देगा। कृपया ध्यान दें कि जिन सदस्यों के पास ई–वोटिंग के लिए यूज़र आईडी और पासवर्ड नहीं है या जो यूज़र आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं, वे आखिरी समय की हड़बड़ी से बचने के लिए नोटिस में बताए गए रिमोट ई–वोटिंग निर्देशों का पालन करके उन्हें प्राप्त कर सकते हैं।
2. वीसी /ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम में शामिल होने की सुविधा ईजीएम के निर्धारित समय से 30 मिनट पहले खुलेगी और सदस्यों के लिए ''पहले आओ–पहले पाओ'' के आधार पर उपलब्ध होगी।
3. सदस्यों को बेहतर अनुभव के लिए लैपटॉप के माध्यम से मीटिंग में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
4. बैठक के दौरान किसी भी तरह की रुकावट से बचने के लिए सदस्यों को कैमरा चालू रखने और अच्छी स्पीड वाला इंटरनेट इस्तेमाल करने की ज़रूरत होगी।
5. कृपया ध्यान दें कि मोबाइल डिवाइस, टैबलेट या मोबाइल हॉटस्पॉट के ज़रिए लैपटॉप से घ्जुड़ने वाले प्रतिभागियों को नेटवर्क में उतार–चढ़ाव के कारण ऑडियो/वीडियो में दिक्कत आ सकती है। इसलिए, ऊपर बताई गई दिक्कतों से बचने के लिए स्टेबल वाई–फ़ाई या एलएएन कनेक्शन का इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है।
6. ईजीएम से पहले या उसके दौरान लॉग–इन में किसी भी तरह की तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य evoting@nsdl.com पर अनुरोध भेजकर या 022–4886 7000 पर कॉल करके एनएसडीएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं।
7. जो शेयरधारक ईजीएम के दौरान अपने विचार रखना चाहते हैं या सवाल पूछना चाहते हैं, वे ईजीएम से कम से कम 10 दिन पहले अपने रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस से cs@kalyanicasttech.com पर अनुरोध भेजकर स्पीकर के तौर पर रजिस्टर कर सकते हैं। अनुरोध में उन्हें अपना नाम, डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी/फोलियो नंबर, पैन और मोबाइल नंबर बताना होगा। जो शेयरधारक ईजीएम के दौरान बोलना नहीं चाहते लेकिन उनके कुछ सवाल हैं, वे ईजीएम से कम से कम 10 दिन पहले अपने रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस से cs@kalyanicasttech.com पर अपने सवाल भेज सकते हैं। सवालों में उन्हें अपना नाम,डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी/फोलियो नंबर, पैन और मोबाइल नंबर बताना होगा। कंपनी इन सवालों का जवाब ईमेल के ज़रिए सही तरीके से देगी।
8. वीसी /ओएवीएम के ज़रिए ईजीएम में शामिल होने वाले सदस्यों को एक्ट की धारा 103 के तहत कोरम (गणपूर्ति) की गिनती के लिए शामिल किया जाएगा।

कल्याणी कास्ट टेक लिमिटेड के लिए
नरेश कुमार
प्रबंध निदेशक

दिनांक : 04.07.2026
स्थान : दिल्ली

फॉर्म संख्या 14
[विनियम 33(2) देखें]
रजि.ए/डी, दस्ती द्वारा ऐसा न करने पर प्रकाशन द्वारा।
कार्यालय-वसूली अधिकारी- I/II
ऋण वसूली अधिकरण दिल्ली (डीआरटी1)
चौथी मंज़िल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001

मांग नोटिस

ऋण वसूली एवं दिवालियापन अधिनियम, 1993 की धारा 25 से 28 तथा आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 2 के अंतर्गत नोटिस।

आरसी /116/2026 — 04–05–2026

यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया बनाम राज ट्रेडर्स और अन्य।

सेवा में
(सीडी 1) **राज ट्रेडर्स, प्रोपराइटर – राजेंद्र सिंह पिता गिरवर सिंह,** 217/47, महालक्ष्मी गार्डन, गली नंबर 1, राजेंद्र पार्क, गुरुग्राम, हरियाणा–122001
(सीडी 2) **श्रीमती कुसुम,** पत्नी श्री राजेंद्र सिंह, 217/47, महालक्ष्मी गार्डन, गली नंबर 1, राजेंद्र पार्क, गुरुग्राम–122001 पताः मकान नंबर 29, वार्ड नंबर 31, टीकमपुर राजेंद्र पार्क, गुरुग्राम–122001
(सीडी 3) **श्री जसवीर सिंह,** पिता श्री गिरवर सिंह, 217/47, महालक्ष्मी गार्डन, गली नंबर 1, राजेंद्र पार्क, गुरुग्राम–122001

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि ऋण वसूली अधिकरण दिल्ली (डीआरटी 1) के पीठासीन अधिकारी द्वारा टीए /1054/2022 में पारित आदेशों के तहत जारी वसूली प्रमाणपत्र के अनुसार, **रु. 18,81,738.42 (अठारह लाख इक्यासी हजार सात सौ अड़तीस रुपये और बयालीस पैसे)** की राशि, साथ ही 01/04/2018 से वसूली तक 13.35% मासिक चक्रवृद्धि ब्याज (पेंडेंटलाइट और भविष्य का ब्याज) और 21,000 रुपये (इक्कीस हजार रुपये) की लागत राशि आपके ऊपर (संयुक्त रूप से और अलग–अलग/पूरी तरह से/सीमित रूप से) देय हो गई है।

(2) आपको नोटिस प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर उपरोक्त राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है, ऐसा न करने पर उक्त वसूली बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के ऋण की वसूली अधिनियम, 1993 और उसके तहत नियमों के अनुसार की जाएगी।
(3) आपको एतद्वारा आदेश दिया जाता है कि आप शपथ पत्र पर सुनवाई की अगली तारीख को या उससे पहले अपनी संपत्ति का विवरण घोषित करें।
(4) आपको एतद्वारा आगे की कार्यवाही के लिए 06.07.2026 को पूर्वाह्न 10:30 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया जाता है।
(5) पूर्वोक्त राशि के अलावा, आप निम्नलिखित का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होंगेः
(क) प्रमाण पत्रनिष्पादन कार्यवाही के इस नोटिस के तुरंत बाद शुरू होने वाली अवधि के लिए देय ऐसे ब्याज।
(ख) इस नोटिस एवं वारंट और अन्य प्रक्रियाओं और देय राशि की वसूली के लिए की गई अन्य सभी कार्यवाही की सेवा के संबंध में किए गए सभी लागत, शुल्क एवं व्यय।

मेरे हाथ और अधिकरण की मुहर के तहत,दिया गया आदेश : 04.05.2026

रविंदर कुमार तोमर
वसूली अधिकारी I
ऋण वसूली न्यायाधिकरण, दिल्ली (डीआरटी1)

CSB Bank Trusted Heritage Smart Future

सीएसबी बैंक लिमिटेड
आंचलिक कार्यालय, तृतीय तल, ए–33, लिंक रोड, लाजपत नगर, पार्ट–3, नई दिल्ली – 110024

परिशिष्ट IV
[नियम 8(1) देखें]
कब्जा सूचना
(अचल संपत्ति के लिए)

जबकि,
अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतन और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54), के अंतर्गत सीएसबी बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के (नियम 3) के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक मांग सूचना तिथि 10.11.2025 जारी की थी, जिसमें ऋणधारक/कों तथा सह–ऋणधारक/कों – (1) मैसर्स हरनाम सिंह पहलवान एंटरप्राइजेज, पताः– प्लॉट नंबर 350, सेक्टर 7, आईएमटी मानेसर, गुड़गांव, हरियाणा – 122052 (2) श्रीमती अंजू पत्नी श्री मनोज कुमार तथा (3) श्री मनोज कुमार, दोनों का पता : चतुर्थ तल, फ्लैट नंबर 404, टॉवर एच, रेजिडेंशियल ग्रुप हाउसिंग कॉम्प्लेक्स पार्क व्यू संस्कृति, सेक्टर 92, ग्राम वजीरपुर, गुड़गांव, हरियाणा 122505 में स्थित, से सूचना में उल्लिखित राशि **रु. 1,95,60,179.15 (रुपये एक करोड़ पिचानबे लाख साठ हजार एक सौ उन्यासी और पंद्रह पैसे मात्र)** जो कि तिथि 10.11.2025 के अनुसार एलपी के मद में देय है, का भुगतान उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर करने को कहा गया था, जिसमें तिथि 11.11.2025 से प्रभावी मासिक शेष के साथ 8.50% प्रति वर्ष की दर से भविष्य का ब्याज तथा देय राशि के पूर्ण भुगतान की तिथि तक लागू दंडात्मक ब्याज और अन्य लागतें एवं खर्च, यदि कोई हो, भी शामिल हैं।

ऋणधारक तथा सह–ऋणधारक तथा बंधककर्ता द्वारा राशि का भुगतान करने में विफल रहने पर, एतद्द्वारा आप सभी तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आज तिथि 03 जुलाई 2026 को यहाँ नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारक तथा सह–ऋणधारकों तथा बंधककर्ता और आम जनता को एतद्द्वारा सावधान किया जाता है कि वे इस संपत्ति के साथ कोई लेन–देन न करें और संपत्ति के साथ किया गया कोई भी लेन–देन सीएसबी बैंक लिमिटेड के पक्ष में **रु. 1,95,60,179.15 (रुपये एक करोड़ पिचानबे लाख साठ हजार एक सौ उन्यासी और पंद्रह पैसे मात्र)** की एक राशि के प्रभाराधीन होगा, जो कि तिथि 10.11.2025 के अनुसार एलपी के मद में देय है, जिसमें तिथि 11.11.2025 से प्रभावी मासिक शेष के साथ 8.50% प्रति वर्ष की दर से भविष्य का ब्याज, तथा देय राशि के पूर्ण भुगतान की तिथि तक लागू दंडात्मक ब्याज और अन्य लागतें एवं खर्च, यदि कोई हो, शामिल हैं।

ख्ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसंपत्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है,।

अचल संपत्ति का विवरण

आवासीय चतुर्थ तल, फ्लैट नंबर 404, टॉवर एच जो कि रेजिडेंशियल ग्रुप हाउसिंग कॉम्प्लेक्स पार्क व्यू संस्कृति, सेक्टर 92, ग्राम वजीरपुर, गुड़गांव, हरियाणा – 122505 में स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 229.93 वर्ग मीटर है तथा जिसकी स्वामिनी श्रीमती अंजू पत्नी श्री मनोज हैं, के उस संपूर्ण हिस्से और भाग के स्वामित्व विलेखों को जमा करके किया गया बंधक।

हस्ता./–
तिथि : 03-07-2026 — प्राधिकृत अधिकारी
स्थान : गुड़गांव — (सीएसबी बैंक लिमिटेड)

जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड

क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियां श्रेणी प्रबंधन विभाग
आंचलिक कार्यालय दिल्ली प्लॉट संख्या 132-134 सेक्टर 44, गुरुग्राम (हरियाणा) भारत (दू.) 0124-4715800, ईमेल : iardel@jkbmail.com

ई-नीलामी सूचना
(सरफेसी अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल संपत्ति/संपत्तियों की बिक्री के लिए)
"परिशिष्ट, IV-A, नियम 8(6) के प्रावधान को देखें"

एतद्द्वारा सामान्य जनता और विशेष रूप से उधारकर्ताओं और गारंटरों को यह सूचना दी जाती है कि नीचे उल्लिखित संपत्ति सुरक्षित ऋणदाता (जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड) को गिरवी रखी गई है, जिसका कब्जा सरफेसी अधिनियम की धारा 13(4) के तहत सुरक्षित ऋणदाता (जम्मू और कश्मीर बैंक लिमिटेड) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, उन्हें संबंधित उधारकर्ता(ओं), बंधककर्ता(ओं) और गारंटर(ओं) से सुरक्षित ऋणदाता की बकाया राशि की वसूली के लिए नीचे उल्लिखित तिथियों पर "जैसा है जहां है" "जैसी है जो कुछ भी है" और "बिना किसी शिकायत" के आधार पर नीचे बताई गई तारीखों पर ई–नीलामी के माध्यम से बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य नीचे उल्लिखित है और जमा की जाने वाली बयाना राशि क्रमशः उल्लिखित है।

उधारकर्ता / गारंटरों के नाम और पता	i) श्रीमती मोनिका, पत्नी सविंदर सिंह, निवासी सी–53, शिवाजी पार्क, पंजाबी बाग, वेस्ट दिल्ली – 110026 (उधारकर्ता) ii) श्रीमती मोनिका, पत्नी सविंदर सिंह, सी–44, शिवाजी पार्क, ग्राउंड फ्लोर, बैकसाइड, वेस्ट पंजाबी बाग, दिल्ली–110026 (उधारकर्ता) iii) श्रीमती मोनिका, पत्नी सविंदर सिंह, प्राइवेट नंबर 7, भारत गार्डन मटियाला रोड, उत्तम नगर, नई दिल्ली–110059 (उधारकर्ता) iv) श्री सविंदर सिंह, पुत्र सुरजीत सिंह दत्ता, निवासी सी 53, शिवाजी पार्क, पंजाबी बाग, वेस्ट दिल्ली – 110026 (सह–उधारकर्ता) v) श्री सविंदर सिंह, पुत्र सुरजीत सिंह दत्ता, सी–44, शिवाजी पार्क, ग्राउंड फ्लोर, बैकसाइड, वेस्ट पंजाबी बाग, दिल्ली–110026 (सह–उधारकर्ता) vi) श्री सविंदर सिंह, पुत्र सुरजीत सिंह दत्ता, प्राइवेट नंबर 7, भारत गार्डन मटियाला रोड, उत्तम नगर, नई दिल्ली–110059 (सह–उधारकर्ता)।
नीलामी के तहत कवर किए गए सुरक्षा प्रभार का विवरण	ऊपरी भूतल, बिना छत/टेरेस के अधिकार के, प्राइवेट नं. 7 (2–बीएचके) लिफ्ट सुविधा जिसमें एक सामान्य हैचबैक कार पार्किंग स्थान है, निर्मित संपत्ति नं. 7,8 और 9 का भूतल, कुल 902 वर्ग गज क्षेत्रफल में से 55 वर्ग गज क्षेत्रफल, खसरा नं. 16/4 में से, मटियाला गांव और गुरु हरकिशन नगर नामक कॉलोनी, उत्तम नगर नई दिल्ली–110059 में स्थित है, जिसके नीचे की भूमि पर आनुपातिक अधिकार है।
आरक्षित मूल्य	रु. 21.85 लाख
ईएमडी राशि	रु. 2.20 लाख
बोली वृद्धि	रु. 0.50 लाख
बकाया देय राशि	30.06.2026 तक रु. 34.84 लाख
संपर्क व्यक्ति का नाम एवं नंबर और शाखा	श्री रियाज़ अहमद मीर, मोबाइल नंबर– 9906980479, ब्रांच मैनेजर, क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियां, वसूली शाखा श्री राहुल गुप्ता, मोबाइल नंबर: 8800830500 (दस्तावेज़ों के लिए)
बयाना राशि जमा (ईएमडी) तथा अन्य प्रेषण/ओं के विवरण/ओं को आरटीजीएस द्वारा खाता संख्या में	जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड, ब्रांच: सेक्टर 44, आईएफएससी कोड: JAKA0GURSEC, खाता का नाम – आरटीजीएस इंटरबैंक रिसीट्स, खाता संख्या : – 0720072000000001
ई–नीलामी की तिथि एवं समय	18.07.2026 को दोपहर 3:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक

ई–नीलामी के नियम तथा शर्तें इस प्रकार हैं :

i. ई–नीलामी "जहां है, जैसा है" "जो है, जैसा है" और "जो कुछ भी है" और "बिना किसी शिकायत" के आधार के आधार पर आयोजित की जा रही है और इसे ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा। संपत्ति का पूरा विवरण और नियम और शर्तें वाला बोली दस्तावेज/प्रारूप वेबसाइट http://sarfaesi.auctiontiger.net/ संपर्क व्यक्ति राम शर्मा –9978591888, संपर्क नंबर 079–68136880 / 68136837 मोबाइलः +919265562821/16 ईमेल : support@auctiontiger.net) से प्राप्त किया जा सकता है और उस पर जमा किया जा सकता है।
ii. प्राधिकृत अधिकारी के सर्वोत्तम ज्ञान और जानकारी के अनुसार, संपत्तियों पर कोई भार नहीं है, सिवाय इसके कि यहाँ विशेष रूप से खुलासा किया गया हो। हालांकि, इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी बोली प्रस्तुत करने से पहले, नीलामी में रखी गई संपत्ति/संपत्तियों के स्वामित्व, संपत्ति को प्रभावित करने वाले दावों/अधिकारों/बकायों के बारे में अपनी स्वतंत्र जांच करनी चाहिए। प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित लेनदार किसी भी तीसरे पक्ष के दावों/अधिकारों/बकायों के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा। बोलीदाताओं को ऊपर दी गई संपत्ति/संपत्तियों के बारे में विवरण, स्थिति या सटीकता के बारे में खुद को संतुष्ट करना होगा। ई–नीलामी विज्ञापन बैंक की किसी भी प्रतिबद्धता या किसी भी प्रतिनिधित्व का गठन नहीं करता है और न ही माना जाएगा। संपत्ति सभी मौजूदा और भविष्य के ऋणों के साथ बेची जा रही है, चाहे वे बैंक को ज्ञात हों या अज्ञात।
iii. इच्छुक बोलीदाता अपनी पेशकश ई–नीलामी की सेवा वेबसाइट https://sarfaesi.auctiontiger.net (उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड "http://sarfaesi.auctiontiger.net" के साथ अपना नाम पंजीकृत करके निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है) के माध्यम से अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। आरक्षित मूल्य का 10% ईएमडी एनईएफटी/आरटीजीएस (ईएमडी प्रेषण विवरण ऊपर दिया गया है) के माध्यम से 17–07–2026 को सायं 5.00 बजे या उससे पहले देय होगा। कृपया ध्यान दें कि चेक / डिमांड ड्राफ्ट ईएमडी राशि के रूप में स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
iv. बिक्री वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत निर्धारित नियमों/शर्तों के अधीन होगी।
v. प्राधिकृत अधिकारी उच्चतम प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और प्राधिकृत अधिकारी को किसी भी या सभी प्रस्तावों को स्वीकार या अस्वीकार करने या बिना कोई कारण बताए ई–नीलामी को स्थगित/रोक/रद्द करने का पूर्ण अधिकार है।
vi. ई–नीलामी के अन्य नियम और शर्तें वेबसाइट https://www.auctiontiger.net पर उपलब्ध हैं।

दिनाँक : 02–07–2026 — हस्ता./– प्राधिकृत अधिकारी,
स्थान : नई दिल्ली — जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः कॉर्पोरेट मुख्यालय एम.ए. रोड, श्रीनगर 190001 जम्मू एण्ड कश्मीर, भारत
सीआईएन : L65110JK1938SGC000048 , दूर. +91 (0)194 2481 930–35
फै. +91 (0)194 248 1928, ई–info@jkbmail.com डब्लू. www.jkbank.net

---

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया / Union Bank of India

भारत सरकार का उपक्रम / A Government of India Undertaking

पंजाबी बाग ईस्ट शाखा (7060)
पता–डब्ल्यूजेड –15, चन्ना मल पार्क/मनोहर पार्क, ईस्ट पंजाबी बाग, नई दिल्ली–110026
ईमेल आईडी: ubin0572063@unionbankofindia.bank.in

अनुलग्नक–I

[नियम–8 (1)]
कब्जा सूचना
(अचल संपत्ति के लिए)

चूंकि,
अधोहस्ताक्षरी यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया, पंजाबी बाग ईस्ट शाखा के अधिकृत अधिकारी है,जिन्होंने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम (द्वितीय), 2002(2002 का अधिनियम संख्या 54) के तहत और सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002, 2002 के नियम 3 के साथ पढ़े जाने वाली धारा 13(12) के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, 27–04–2026 को एक डिमांड नोटिस जारी किया गया, जिसमें निम्न उधारकर्ता से कहा गया है :

1. **अशोक कुमार चौधरी (उधारकर्ता), पताः ए–116, पहली मंज़िल, तिहाड़ गाँव, हरि नगर, नई दिल्ली–110064**
2. **श्रीमती रेनू चड्ढा (सह–उधारकर्ता), पताः ए–116, पहली मंज़िल, तिहाड़ गाँव, हरि नगर, नई दिल्ली–110064**
3. **श्री राजेंद्र प्रसाद शाह (गारंटर), पताः मकान सं.ए–4, 40 फीट रोड, दीपक विहार, विकास नगर, हस्तसाल, नई दिल्ली–110059 से**

नोटिस में बताई गई रकम, यानी **रु.12,54,864.89 (बारह लाख चौवन हज़ार आठ सौ चौंसठ रुपये और निन्यानवे पैसे)** को उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए कहा गया है।

उधारकर्ता राशि का पुनर्भुगतान करने में विफल रहा है। उधारकर्ता और आम जनता को एतद्द्वारा सूचना दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति पर 01 जुलाई,2026 को कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से उधारकर्ता और सामान्य तौर पर आम जनता को एतद्द्वारा चेतावनी दी जाती है कि संपत्ति के साथ कोई भी लेन–देन न करें और संपत्ति के साथ कोई भी लेन–देन पर **रु.12,54,864.89 (बारह लाख चौवन हज़ार आठ सौ चौंसठ रुपये और निन्यानवे पैसे)** एवं इसके साथ–साथ इस पर अन्य ब्याज यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रभार के अधीन होगा।

प्रतिभूति परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 के उपधारा (8) के प्रावधानों की तरफ उधारकर्ता का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

संपत्ति का विवरण

हरि नगर, ए–ब्लॉक, तिहाड़ गाँव, नई दिल्ली–110064 में स्थित सम्पत्ति सं.डब्ल्यूजेड –280 (म्यूनिसिपल नंबर ए–116) का पूर्व तरफ का पहला तल (बिना छत के अधिकार के), जो 110 वर्ग गज ज़मीन पर बना है और खसरा नंबर 2041, खतौनी नंबर 9 का हिस्सा है। इसमें भूतल से ऊपर के तल तक जाने वाली सीढ़ियों और रास्ते के साझा अधिकार भी शामिल हैं। और इसके साथ ज़मीन के आनुपातिक फ्रीहोल्ड अधिकार भी हैं (जिसे आगे "संपत्ति" कहा जाएगा)।

इसकी सीमाएँ इस प्रकार हैः–
पूर्वः दूसरों की सम्पत्ति
पश्चिमः उक्त सम्पत्ति का बचा हुआ हिस्सा
उत्तरः सड़क/गली
दक्षिणः दूसरों की सम्पत्ति

दिनांक: 01.07.2026 — हस्ता/–, अधिकृत अधिकारी,
स्थानः नई दिल्ली — यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

पंजाब नैशनल बैंक / punjab national bank

.......भरोसे का प्रतीक ...the name you can BANK upon!
(A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING)

आस्ति वसूली प्रबंधन शाखा, पूर्वी दिल्ली
पॉकेट–ई, मयूर विहार फेज–II, दिल्ली–110091
ईमेल– cs8075@pnb.bank.in, फोन– 011-22779758, 22785289

अचल सम्पत्तियों की ई–नीलामी हेतु बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई–नीलामी विक्रय नोटिस,

आम जनता को और विशेष रूप से कर्जदार और गारंटर्स को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियां जो प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित है, का सांकेतिक/वास्तविक कब्जा(नीचे वर्णित अनुसार), प्रतिभूत लेनदार पंजाब नेशनल बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर बेचा जाएगा। बकाया राशि की वसूली, कर्जदार(रों) और गारंटर(रों), आरक्षित मूल्य और धरोहर राशि का विवरण नीचे दी गई तालिका के अनुसार

प्रत्याभूत परिसम्पत्तियों की बिक्री की अनुसूची

क्र. सं.	शाखा का नाम / खाते का नाम / कर्जदार/गारंटर्स खाते का नाम एवं पता	क) सरफासी अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना की तिथि / ख) मांग सूचना के अनुसार बकाया राशि / ग) सरफासी अधिनियम 2002 की धारा 13(4) के अंतर्गत कब्जा की तिथि / घ) कब्जा की स्थिति सांकेतिक/भौतिक/रचनात्मक	अचल बंधक सम्पत्तियों का विवरण / स्वामित्व का नाम (बंधक सम्पत्तियाँ)	आरक्षित मूल्य (लाख रु. में) / ईएमडी (ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि) / बोली वृद्धि राशि	नीलामी की तिथि एवं समय	सुरक्षित लेनदारों को ज्ञात एन्कम्ब्रेन्स का विवरण / प्राधिकृत ऑफिसर का नाम एवं सम्पर्क नं.
1	एआरएमबी ईस्ट दिल्ली (807500) **श्री राज कुमार जैन पुत्र जियालाल जैन,** निवासी – सी–10, तृतीय तल, रामप्रस्थ, गाजियाबाद – 201001 **श्रीमती इंदु जैन पत्नी राज कुमार जैन,** निवासी – सी–10, तृतीय तल, रामप्रस्थ, गाजियाबाद – 201001	04.09.2018 / रु.**15623809.00** + पूर्ण और अंतिम भुगतान की तिथि तक अतिरिक्त ब्याज, अन्य शुल्क और व्यय। / 08.06.2026 / सांकेतिक	TF–1, (तीसरी मंजिल, बिना छत के अधिकार के) प्लॉट नंबर–101, ब्लॉक–ए, सेक्टर–7, रामपुरी, गाँव– चिकंबरपुर, गाजियाबाद, यू.पी. में स्थित, जिसका सुपर कवर्ड एरिया 230.39 वर्ग मीटर है और जो राज कुमार जैन के नाम पर है।	रू. 90.52 लाख / रू. 09.06 लाख (13.08.2026) / रू. 25000/–	13.08.2026 पूर्वाह 11.00 बजे से अपाह 04.00 बजे	ज्ञात नहीं श्री सुभाष चंद्र जाटव (मो. नं. 9121866087) प्राधिकृत अधिकारी एआरएमबी पूर्वी दिल्ली
2.	एआरएमबी ईस्ट दिल्ली (807500) **विजयंत जैन पुत्र स्व. वी के जैन** सी–10, तीसरी मंजिल, रामप्रस्थ, गाजियाबाद–201001 **प्रतीक जैन** सी–10, तीसरी मंजिल, रामप्रस्थ, गाजियाबाद–201001	13.06.2018 / रु.**155.72** लाख + पूर्ण और अंतिम भुगतान की तिथि तक अतिरिक्त ब्याज, अन्य शुल्क और व्यय। / 18.12.2018 / सांकेतिक	TF–1, (तीसरी मंजिल, बिना छत के अधिकार के) प्लॉट नंबर–100, ब्लॉक–ए, सेक्टर–7, रामपुरी, गाँव– चिकंबरपुर, गाजियाबाद, यू.पी. में स्थित, जिसका सुपर कवर्ड एरिया 230.39 वर्ग मीटर है और जो विजयंत जैन के नाम पर है।	रू. 90.52 लाख / रू. 09.06 लाख (13.08.2026) / रू. 25000/–	13.08.2026 पूर्वाह 11.00 बजे से अपाह 04.00 बजे	ज्ञात नहीं श्री सुभाष चंद्र जाटव (मो. नं. 9121866087) प्राधिकृत अधिकारी एआरएमबी पूर्वी दिल्ली
3.	एआरएमबी ईस्ट दिल्ली (807500) **राजेश त्यागी पुत्र विजन्दर त्यागी** ए–323,नंद ग्राम, गाजियाबाद यूपी–201001 **वीरेंद्र जैन पुत्र त्रिलोक चंद** सी–294, प्रथम तल, विवेक विहार, दिल्ली–110095 **विजयंत जैन पुत्र स्व. वी के जैन** सी–10, तीसरी मंजिल, रामप्रस्थ, गाजियाबाद **संयोगिता त्यागी पत्नी राजेश त्यागी** ए–323, नंद ग्राम, गाजियाबाद यूपी–201001	11.10.2018 / रु.**155.72** लाख + पूर्ण और अंतिम भुगतान की तिथि तक अतिरिक्त ब्याज, अन्य शुल्क और व्यय। / 18.12.2018 / सांकेतिक	SF–1, (दूसरी मंजिल, बिना छत के अधिकार के) प्लॉट नंबर–101, ब्लॉक–ए, सेक्टर–7, रामपुरी, गाँव– चिकंबरपुर, गाजियाबाद, यू.पी. में स्थित, जिसका सुपर कवर्ड एरिया 371.61 वर्ग मीटर है और जो राजेश त्यागी पुत्र विरेन्दर त्यागी के नाम पर है।	रू. 120.00 लाख / रू. 12.00 लाख (13.08.2026) / रू. 25000/–	13.08.2026 पूर्वाह 11.00 बजे से अपाह 04.00 बजे	ज्ञात नहीं श्री सुभाष चंद्र जाटव (मो. नं. 9121866087) प्राधिकृत अधिकारी एआरएमबी पूर्वी दिल्ली
4.	एआरएमबी ईस्ट दिल्ली (807500) **प्रतीक जैन पुत्र विजय कुमार जैन,** निवासी – सी–10, तृतीय तल, रामप्रस्थ, गाजियाबाद **विजयंत जैन पुत्र स्वर्गीय वी. के. जैन,** निवासी – सी–10, तृतीय तल, रामप्रस्थ, गाजियाबाद।	14.06.2018 / रु.**158.08** लाख + पूर्ण और अंतिम भुगतान की तिथि तक अतिरिक्त ब्याज, अन्य शुल्क और व्यय। / 18.12.2018 / सांकेतिक	TF–2, (तृतीय तल, बिना छत के अधिकार के) प्लॉट नंबर–100, ब्लॉक–ए, सेक्टर–7, रामपुरी, गाँव– चिकंबरपुर, गाजियाबाद, यू.पी. में स्थित, जिसका सुपर कवर्ड एरिया 230.39 वर्ग मीटर है और जो प्रतीक जैन पुत्र श्री विजय कुमार जैन के नाम पर है।	रू. 90.52 लाख / रू. 09.06 लाख (13.08.2026) / रू. 25000/–	13.08.2026 पूर्वाह 11.00 बजे से अपाह 04.00 बजे	ज्ञात नहीं श्री सुभाष चंद्र जाटव (मो. नं. 9121866087) प्राधिकृत अधिकारी एआरएमबी पूर्वी दिल्ली
5.	एआरएमबी ईस्ट दिल्ली (807500) **वीरेंद्र जैन पुत्र त्रिलोक चंद,** निवासी – सी–294, प्रथम तल, विवेक विहार, दिल्ली – 110095 **साथ हीः** सी–10, तृतीय तल, रामप्रस्थ, गाजियाबाद **दीपाली जैन पत्नी वीरेंद्र जैन,** निवासी – सी–294, प्रथम तल, विवेक विहार, दिल्ली – 110095 **साथ हीः** सी–10, तृतीय तल, रामप्रस्थ, गाजियाबाद	11.10.2017 / रु.**141.39** लाख + पूर्ण और अंतिम भुगतान की तिथि तक अतिरिक्त ब्याज, अन्य शुल्क और व्यय। / 09.01.2018 / सांकेतिक	TF–2, (तृतीय तल, बिना छत के अधिकार के) प्लॉट नंबर–101, ब्लॉक–ए, सेक्टर–7, रामपुरी, गाँव– चिकंबरपुर, गाजियाबाद, यू.पी. में स्थित, जिसका सुपर कवर्ड एरिया 230.39 वर्ग मीटर है और जो वीरेंद्र जैन पुत्र त्रिलोक चंद के नाम पर है।	रू. 90.52 लाख / रू. 09.06 लाख (13.08.2026) / रू. 25000/–	13.08.2026 पूर्वाह 11.00 बजे से अपाह 04.00 बजे	ज्ञात नहीं श्री सुभाष चंद्र जाटव (मो. नं. 9121866087) प्राधिकृत अधिकारी एआरएमबी पूर्वी दिल्ली

ई–नीलामी बिक्री के संक्षिप्त नियम एवं शर्ते :

बिक्री, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 में वर्णित नियमों एवं शर्तों के अधीन होगी। (1) **सम्पत्तियां को "जो है जहाँ है", "जैसी है जो कुछ भी है" एवं "दायित्व रहित आधार पर" बेचा जा रहा है।** (2) ऊपर वर्णित अनुसूची में विनिर्दिष्ट सुरक्षित परिसंपत्तियों का विवरण, प्राधिकृत अधिकारी की सर्वश्रेष्ठ जानकारी के अनुसार दर्शाई गई है, किंतु प्राधिकृत अधिकारी इस उद्घोषणा में किसी त्रुटि, गलत बयान या चूक के लिए जवाबदेह नहीं होगा। (3) नीलामी ई–नीलामी प्लेटफार्म वेबसाइट **https://baanknet.com** के माध्यम से ऊपर वर्णित दिनांकों को आयोजित की जाएगी। (5) अधिक विवरण तथा सम्पूर्ण नियमों व शर्तों के लिए कृपया निम्नलिखित वेबसाइट्स : **https://baanknet.com & www.pnbindia.in** देखें। (5) सभी सांविधिक बकाया/अटेंडेंट शुल्क/पंजीकरण शुल्क, स्टांप शुल्क, कर इत्यादि अन्य बकाया, खरीददारों को वहन करना होगा। प्राधिकृत अधिकारी या बैंक किसी भी शुल्क के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। ऋणभार में ग्रहणाधिकार सांविधिक बकाया या किसी अन्य के लिए संपत्ति (ई–नीलामी) के संबंध में जो बैंक को ज्ञात नहीं है, इच्छुक बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि वे वैधानिक देनदारियों, संपत्ति कर की बकाया राशि, बिजली बकाया इत्यादि संपत्ति पर भार के संबंध में स्वतंत्र पूछताछ करें।

सरफासी अधिनियम 2002 के नियम 8(6) के अंतर्गत बिक्री सूचना

दिनांकः 04.07.2026, स्थान : नई दिल्ली — प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक